न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 07/2014

1 प्रसादाराम पुत्र अर्जुन उम्र 65 वर्ष जाति गुर्जर निवासी रवां तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)
2 मनोहर पुत्र सुरजाराम उम्र 60 वर्ष जाति गुर्जर निवासी रवां तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)
3 रामेश्वर पुत्र सुरजाराम उम्र 55 वर्ष जाति गुर्जर निवासी रवां तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)
4 शैतान सिंह पुत्र सुरजाराम उम्र 50 वर्ष जाति गुर्जर निवासी रवां तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)

अपीलांट

बनाम

1 रेवताराम पुत्र हनुमान उम्र 45 वर्ष जाति गुर्जर निवासी रवां तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)
2 महावीर पुत्र हनुमान उम्र 40 जाति गुर्जर निवासी रवां तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)
3 श्रीमती भाती देवी पत्नी मनोहर लाल पुत्री अर्जुन उम्र 48 वर्ष जाति गुर्जर निवासी रवां तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.) हाल निवासी कोका थाना कनीना जिला महेन्द्रगढ़ (हरियाणा)
4 श्रीमती संतोष पत्नी जयमल पुत्री अर्जुन उम्र 40 वर्ष जाति गुर्जर निवासी रवां तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.) हाल निवासी कोका थाना कनीना जिला महेन्द्रगढ़ (हरियाणा)
5 श्रीराम पुत्र अर्जुन उम्र 45 वर्ष जाति गुर्जर निवासी रवां तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)
6 बंशीधर पुत्र अर्जुन उम्र 60 वर्ष जाति गुर्जर निवासी रवां तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

7 उमराव सिंह पुत्र सूरजाराम उम्र 48 वर्ष जाति गुर्जर निवासी रवां तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड
अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर खेतड़ी
दिनांक 17.01.2014 उनवानी मुकदमा प्रसादाराम
आदि बनाम रेवताराम आदि मु.नं. 10/2012

उपस्थिति :

1. श्री राजेन्द्र सिंह निर्वाण, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री द्वारकाप्रसाद वर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 6.6.24

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 10/2012 में पारित निर्णय दिनांक 17.01.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट ने धारा 212 का आवेदन प्रस्तुत कर वाके ग्राम रवां तहसील खेतड़ी की भूमि खसरा नम्बर 143, 148, 196, 198, 494, 495, 695, 696 के संदर्भ में अस्थाई निषेधाज्ञा चाही। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र खारिज किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि जमाबंदी सम्वत 2056–2059 में इन्तकाल 197 दिनांक 31.02.2001 में बंशी के स्थान पर भाती देवी पत्नी मनोहर लाल, संतोष देवी पत्नी जयमल हिस्सा 1/8 दर्ज रिकार्ड है इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण संख्या 3 व 4 ने अपने भाई अप्रार्थी संख्या 6 से उक्त विवादित भूमि में से उसके हिस्से से क्रय की गई है इसी प्रकार जमाबन्दी सम्वत 2068–2071 में इन्तकाल संख्या 525 दिनांक 05.04. 2012 से श्रीराम पुत्र अर्जुन हिस्सा 5/12 बंशीधर पुत्र अर्जुन हिस्सा 1/24 के बजाय रेवताराम, महावीर पुत्र हनुमान हिस्सा 0.08 हैक्टेयर व श्रीराम पुत्र अर्जुन हिस्सा 1.29 हैक्टेयर दर हिस्सा 5/12 जाति गुर्जर, रेवताराम, महावीर पिता हनुमान हिस्सा 1/24 जाति गुर्जर दर्ज रिकार्ड है के आधार पर पृथम दृष्टया मामला नहीं माना है जबकि अप्रार्थी संख्या 5 का 1/2 हिस्से में 5/12 हिस्सा है जो प्रार्थी संख्या 1 के साथ दर्ज है जिसका उसका कुल भूमि में 5/24 हिस्सा हुआ व अप्रार्थी संख्या 6 का 1/2 में 1/24 हिस्सा होने से कुल भूमि में 1/48 हिस्सा हुआ। इस तथ्य पर गोर न कर विचारण न्यायालय में निर्णय देने में कानूनी भूल की है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा विवादित जमीन पर प्रार्थीगण 1 लगायत 4 व अप्रार्थी नं. 7 का कब्जा है इस तरह बैलेन्स ऑफ कन्विनियन्स भी प्रार्थीगण, अप्रार्थी नं. 7 के पक्ष में है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि जमाबंदी संवत 2056–2059 में इंतकाल 197 दिनांक 31.02.2001 में बंशी के स्थान पर भाती देवी पत्नी मनोहरलाल संतोष देवी पत्नी जयमल हिस्सा 1/8 दर्ज रिकार्ड है इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थीया संख्या 3 व 4 ने अपने भाई अप्रार्थी संख्या 6 से उक्त विवादित भूमि में से उसके हिस्से से क्रय की गयी है। इसी प्रकार जमाबंदी संवत 2068–2071 में इंतकाल संख्या 525 दिनांक 05.04.2012 से श्रीराम पुत्र अर्जुन हिस्सा 5/12 बंशीधर पुत्र अर्जुन हिस्सा 1/24 के बजाय रेवताराम महावीर पुत्र हनुमान हिस्सा 0.08 हैक्टेयर व श्रीराम पुत्र अर्जुन हिस्सा 1.29 हैक्टेयर दर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

हिस्सा 5/12 जाति गुर्जर रेवताराम महाबीर पिता हनुमान हिस्सा 1/24 जाति गुर्जर दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार उक्त विवादित भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिस पर पक्षकारान अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्तकार है जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष का नहीं पाया जाता है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष का नहीं बनता है। अगर वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के कब्जा काश्त भूमि में उपयोग–उपभोग में बाधा कारित करते हैं तो अपूरणीय क्षति अप्रार्थीगण को ही होगी। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों घटकों का विवेचन कर प्रार्थी अपीलांट का आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि जमाबंदी संवत 2056–2059 में इंतकाल 197 दिनांक 31.02.2001 में बंशी के स्थान पर भाती देवी पत्नी मनोहरलाल संतोष देवी पत्नी जयमल हिस्सा 1/8 दर्ज रिकार्ड है इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थीया संख्या 3 व 4 ने अपने भाई अप्रार्थी संख्या 6 से उक्त विवादित भूमि में से उसके हिस्से से क्रय की गयी है। इसी प्रकार जमाबंदी संवत 2068–2071 में इंतकाल संख्या 525 दिनांक 05.04.2012 से श्रीराम पुत्र अर्जुन हिस्सा 5/12 बंशीधर पुत्र अर्जुन हिस्सा 1/24 के बजाय रेवताराम महावीर पुत्र हनुमान हिस्सा 0.08 हैक्टेयर व श्रीराम पुत्र अर्जुन हिस्सा 1.29 हैक्टेयर दर हिस्सा 5/12 जाति गुर्जर रेवताराम महाबीर पिता हनुमान हिस्सा 1/24 जाति गुर्जर दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार उक्त विवादित भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिस पर पक्षकारान अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्तकार है जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष का नहीं पाया जाता है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष का नहीं बनता है। अगर वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के कब्जा काश्त भूमि में उपयोग–उपभोग में बाधा कारित करते हैं तो अपूरणीय क्षति अप्रार्थीगण को ही

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधि
सीकर(कैम्प झुन्झनूं

होगी। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों घटकों का विवेचन कर प्रार्थी अपीलांट का आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 6.6.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)